



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

• 11 •

W 320549

23 अक्टूबर 2012

- 6- यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स द्वितीयक द्वारा ढाई साल में पूर्ण परिणित होगा। तथा प्रथमक की ओर से छः माह द्वितीयक को ग्रेल में दिखेजायेगे।
- 7- यह कि संपूर्ण काम्पलेक्स में जो भी शर्मिलाती रास्ते ,कोरीडोर, छत,जीने ,दीवारें ,पिलर्स,समस्तोपल पम्प द्वारा प्रदत्त पानी की सुविधासे ,पार्किंग,वेनसेट,लिफ्ट आदि होगी वह किसी एक पक्ष की निर्जी संपत्ति नहीं होगी और नाही किसी एक पक्ष को काम्पलेक्स

